कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवम् अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश, भोपाल
(पंजीयन भवन, प्लॉट 35–ए, अरेरा हिल्स, जिला न्यायालय के पीछे, भोपाल – 462011)

क्रमांक 1144 / सम्पदा ई–पंजीयन – 110 / 2015 भोपाल, दिनांक 04.09.2015

प्रति

समस्त विभागाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय – स्टाम्प शुल्क में छूट या कमी के संबंध में आवेदन प्रस्तुत करने बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत शासन के विभिन्न विभागों द्वारा स्टाम्प शुल्क में छूट या कमी के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं। इन आवेदनों में प्रायः न तो दस्तावेज के स्वरूप का उल्लेख होता है, जैसे वह विक्रय पत्र है या पट्टा विलेख, और न ही सम्पत्ति का विवरण दिया जाता है। ऐसी स्थिति में दस्तावेज पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की संगणना किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है, जिसके कारण शासन को विभागीय अभिमत भेजने में विलम्ब एवं असुविधा होती है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि यदि विभाग द्वारा किसी दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क की छूट चाही जाती है, तो सम्पदा ई–पंजीयन के अन्तर्गत अपेक्षित दस्तावेज तैयार कराया जाए। दस्तावेज की विषयवस्तु सम्पत्ति का बाजार मूल्य एवं उस पर प्रभारित होने वाली स्टाम्प शुल्क की संगणना सम्पदा एप्लीकेशन द्वारा ही की जाएगी। उक्त जानकारी के साथ आवेदन प्रशासकीय विभाग के माध्यम से इस कार्यालय को भेजा जाना उचित होगा, ताकि ऐसे मामले आगामी कार्यवाही हेतु शासन को अविलम्ब प्रस्तुत किए जा सकें। कृपया तद्नुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

Dipali Rastogi

(दीपाली रस्तोगी)
महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश।

पृष्ठांकन क्रमांक 1145 / सम्पदा ई–पंजीयन – 110 / 2015 भोपाल, दिनांक 04.09.2015

प्रतिलिपि –

1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन।

2. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
4. समस्त कमिश्नर एवं कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. उप महानिरीक्षक पंजीयन, भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक एवं जिला पंजीयक, मध्यप्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. श्री स्वप्नेश शर्मा, जिला पंजीयक एवं प्रभारी, सम्पदा परियोजना प्रबंधन इकाई।

महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश।